

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

:: आदेश ::



प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी (क)..... व उपखण्ड अधिकारी लिख निरीक्षक की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंघा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसार में ग्राम (क) पटवार हल्का (क) तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमावती संवत् 2022-23 में खाता संख्या में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं:-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अमूल्य)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3		
1	धुवाला (क)	1	आ.नं. 3392/3 खंभा 103.17 बीघा की लकड़े से लगभग कम होना	सीमाशन से पश्चात आ.नं. 3392/3 खंभा 103.17 बीघा की कम लगभग से लगभग लकड़े से सीमाशन लकड़े के आधार पर शुद्ध किया जाने का आदेश दिया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा
राजस्थान

क्रमांक:- न्यायालय / 2021 / 200

दिनांक:- 6/10/21

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट गिजयाये।
2. प्रार्थी श्री

o/c

उपखण्ड अधिकारी
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

